फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

राधेश्याम वगै० बनाम राज०सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़

किस्म मुकदमा .... नं. /प्रा०पत्र/ सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-05-24	सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबकर पत्रावली दिनांक 30-05-24 को पेश हो।	
30-05-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कार्य स्थगित कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली मुताबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-06-24 को पेश हों।	
6-06-24	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता उप० अप्रार्थी की तरफ से सरकार पैरोकार उपस्थित। सरकार पैरोकार ने जवाब पेश नहीं कर अनापत्ति जाहिर की। हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	नन्दन

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

30/प्रा.पत्र/2024

दायरा दिनांक 22.05.2024

पीठासीन अधिकारी

श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र गिरिराज जाति मीणा निवासी धाकडखेडी तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. गोवर्धन पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी धाकडखेडी तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से :— श्री आरिफ अली

अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांकः— 06.06.2024

—:आदेशः—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम बलवन पटवार हल्का बलवन भू. अभिलेख निरक्षक क्षेत्र लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या नया 160 पुराना 158 ख0सं0 616 रकबा 1.0900 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या नया 73 पुराना 197 ख0सं0 615 रकबा 0.0900 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस—पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थीगण की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की सीमाओ को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बलवन पटवार हल्का बलवन भू. अभिलेख निरक्षक क्षेत्र लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि कृषि भूमि खसरा संख्या नया 160 पुराना 158 ख0सं0 616 रकबा 1.0900 है0 तथा खसरा संख्या नया 73 पुराना 197 ख0सं0 615 रकबा 0.0900 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थिगण के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)